INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

International Recognition Multidisciplinary Research Journal

Volume - 6 | Issue - 10 | November - 2016

4.1625(UIF) 2230-7850

"भूमि में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का हक"

डॉ. केशव टेकाम

केशव टेकाम

सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर (म.प्र.)

सारांश :– भूमि केवल आर्थिक सम्पत्ति नहीं है, इसका स्वामित्व सामाजिक मूल्यों व सामाजिक स्तर को भी निर्धारित करता है। ग्रामीण भारत में भूमि का स्वामित्व सामाजिक स्तर का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। भूमि का असमान वितरण समाज के विभाजन एवं सामाजिक पदानुक्रम को निर्धारित करने में सहयोग प्रदान करता है। भूमि का ...पृष्ठ क्र.– 18

Editor - In - Chief - H. N. Jagtap

Indian Streams Research Journal
International Recognized Multidisciplinary Research Journal

ISSN NO:-2230-7850 Impact Factor : 4.1625(UIF) Vol.- 6, Issue - 10, November -2016

Sr. No	Title And Name Of The Author (S)	Page No
1	भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका डॉ. राजू रैदास, प्रो. संजीव शर्मा	1
2	सालम क्षेत्र में स्थित वीर स्तम्भों का सांस्कृतिक महत्व Shailesh Bhandari	5
3	मध्यप्रदेश मधील महान लोकसंस्कृतीक परंपरा व लोक संगीताचे विविध प्रकार प्रा. सुनिल बाबुलालजी पटके , डॉ. शिरिष व्ही कडु	11
4	रेल्वे विस्तार आणि मध्यप्रांतातील वनांचे शोषण एक ऐतिहासिक विश्लेषण पल्लवी स. ताजने	14
5	भूमि में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का हक डॉ. केशव टेकाम	18
6	औद्योगिक विकास व पर्यावरण प्रदुषण डॉ.पी.व्ही. कदम	22
7	शाश्वत आर्थिक विकासासाठी पर्यावरण संरक्षण काळाची गरज डॉ.एस. के. ढगे.	25
8	सशक्त महिला–सशक्त समाज श्रीमती कीर्ति आनन्द	29

ISSN: 2230-7850 Impact Factor :4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 10 | November - 2016

ISRJ Indian Streams Research Journal

"भूमि में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का हक"

डॉ. केशव टेकाम
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर (म.प्र.)

प्रस्तावना :–

भूमि केवल आर्थिक सम्पत्ति नहीं है, इसका स्वामित्व सामाजिक मूल्यों व सामाजिक स्तर को भी निर्धारित करता है। ग्रामीण भारत में भूमि का स्वामित्व सामाजिक स्तर का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। भूमि का असमान वितरण समाज के विभाजन एवं सामाजिक पदानुक्रम को निर्धारित करने में सहयोग प्रदान करता है। भूमि का निष्पक्ष वितरण असमान सामाजिक पदानुक्रम की जड़ों पर सीधे प्रहार करता है तथा लगातार गुलामी के चंगुल में फंसे व्यक्तियों को मुक्त करता है। जिससे वे स्थायी जीवन यापन कर सकें। भूमिहीन जिनकी सम्पत्ति श्रम है वे उत्पादन के अन्य साधनों से अलग हैं। अपनी जीविका के लिए भूमिपतियों पर निर्भर है। शक्तिशाली भूमिपति हमेशा भू-सुधार का विरोध करते हैं। उन्हें न केवल अपनी सम्पत्ति के नुकसान का डर होता है अपितु समाज में प्रभावी भूमिका के खोने का भी डर होता है जिसे वे अपने क्षेत्र में फैलाये हुए है। भारत में भूमि का वितरण सामाजिक पदानुक्रम को प्रदर्शित करता है बड़े भूमिपति निरविवाद रूप से उच्च जाति के है। छोटे व सीमांत मध्यम वर्ग से संबंधित है तथा कृषिश्रमिक मुख्यतः बड़ी मात्रा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग है।

भारत में अनुसूचित जाति व जनजातियों की स्थिति :–

ग्रामीण भारत में जोतों की सीमा सभी विषमताओं का निर्माण करती है। भूमिहीन आदिवासी श्रमिक की वार्षिक आय वर्ष २००४-०५ में हुए सर्वे के अनुसार लगभग २६७७८ रू. थी, वहीं उच्च जाति वर्ग के भूमिहीन किसान की आय लगभग ४६३६६ रू. प्रति वर्ष थी। बड़े आदिवासी किसान की आय लगभग ६१७१२ रू. प्रतिवर्ष थी, वहीं उच्च जाति वर्ग के बड़े किसान की आय लगभग ११७७६६ रू. है, अर्थात् एक ही कृषक वर्ग में आय में लगभग दो गुने का अंतर है। सर्वे के अनुसार वर्ष २००४-०५ में लगभग ७०-८० प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार भूमिहीन श्रमिक या सीमांत किसान हैं, तब निश्चित रूप से इनकी आय का स्तर निम्न होगा। जैसे-जैसे हम एक कृषक वर्ग से दूसरे कृषक वर्ग पर दृष्टि डालते हैं तब विषमता और बढ़ती हुई दिखाई देती है।

तालिका क्र. 1
विभिन्न वर्गों में जोतों की सीमा (संख्या लाखों में/प्रतिशत)
(वर्ष 2004–05)

वर्ग	सीमांत किसान		लघु किसान		अर्द्धमध्यक किसान		मध्यम किसान		बड़े किसान		कुल	
	संख्या लाख में	%	संख्या लाख में	%	संख्या लाख में	%	संख्या लाख में	%	संख्या लाख में	%	संख्या लाख में	%
अनु.ज.जा.	51	6.11	26	11.07	17	12.03	0.7	11.97	1.1	10.24	103	8.0
अनु.जाति	122	14.62	24	10.22	10	7.17	3	5.1	0.5	5.07	160	12.49
संस्थायें	2	0.18	0.3	0.14	0.2	0.19	0.2	0.35	0.2	2.03	2.5	0.20
अन्य	661	79.09	188	78.57	113	80.60	52	82.56	9	82.66	1025	79.36
कुल	836	100	239	100	141	100	63.7	100	10.9	100	1292	100

स्त्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (www.agricoop.nic.in)

तालिका क्र. १ के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांत किसानों में अनुसूचित जाति व जनजाति का भाग क्रमशः १४.६२ फीसदी व ६.११ फीसदी है। जो उच्च जातीय वर्ग के भाग लगभग ७६.०६ फीसदी से काफी कम हैं लघु किसानों, मध्यम, अर्द्धमध्यम किसानों में भी उच्च जातीय वर्ग का भाग अधिक है। बड़े किसानों में लगभग ८२.६६ प्रतिशत भाग उच्च जातियों का है। तालिका से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कृषक वर्ग में उच्च जातियों का भाग बहुत अधिक है। उनकी तुलना में अनुसूचित जातियों व जनजातियों का भाग बहुत कम कहा जा सकता है। भूमिहीन श्रमिकों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति की सुरक्षा को निर्धारित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं।

भूमि हस्तांतरण के कारण :

भूमि हस्तांतरण में वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें प्रमुखतः भूमि का विखण्डन और उपविभाजन है। ग्रामीण भारत में गरीबी में तेजगति से वृद्धि होने के कारण भी भूमि हस्तांतरण होता है। विकासात्मक नीतियाँ, भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को और तेज कर देती हैं, जिनमें से शहरों का विस्तार, औद्योगीकरण आदि मुख्य कारणों में से एक है। भूमि हस्तांतरण के प्रमुख कारण निम्न हैं :-

1. ग्रामीण ऋणग्रस्तता :

ग्रामीण भारत में गरीब साधनों की कमी के कारण कर्ज के बोझ तले दब जाता है। वह उपभोग के लिए कर्ज लेता है, वह बीमारी से लड़ने के लिए कर्ज लेता है, वह सामाजिक संस्कृति जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के व्यय करने के लिए कर्ज लेता है और कर्ज के बोझ को ढ़ोने की स्थिति में नही रहता परिणामस्वरूप कानूनी तौर पर या गैर-कानूनी तरीके से वह अपनी जमीन देने पर बाध्य हो जाता है। इस प्रक्रिया में निजी साहूकार, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक आदि शामिल हैं।

2. पूँजीवादी कृषि पद्धति :

सरकार अधिक खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से पूँजीवादी कृषि पद्धत्ति को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पिछले दो दशकों में देश के विभिन्न भागों में हरित क्रांति सफल हुई है। इस प्रकार की कृषि आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रेक्टर, थ्रेशर, हारवेस्टर, उच्च जनन क्षमता वाले बीज, रासायनिक व कीटनाशक, तथा अत्याधुनिक सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करती है। कृषि में महंगा निवेश होने के कारण छोटे व सीमांत किसान, बड़े किसानों पर निर्भर हो जाते हैं। पूँजीपति किसान जिनके पास कृषि के समस्त आदान उपलब्ध हैं, वे कृषि आदानों को किराये पर उपलब्ध कराते हैं। ये किसान एक प्रकार का कार्टेल बना लेते हैं। जो कृषि आदानों को ऊँची कीमतों पर उपलब्ध कराते हैं। छोटे किसान या तो अपनी जमीन उनको किराये पर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं या कर्ज लेकर महंगी खेती करने का जोखिम उठाते हैं। इस तरह से एक अनकहा शोषण कृषि क्षेत्र में व्याप्त है। पूँजीपति किसान, उच्च आय वर्ग के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी रखते हैं जिनका समाज में दबदबा होता है। छोटे या सीमांत किसान किसी न किसी रूप में इनके चंगुल में फंसा होता है। मेहनत करने के बावजूद निम्न स्तर का जीवन यापन करने पर मजबूर होता है, क्योंकि वह भूमिहीन हो जाता है पंजाब में सर्वाधिक भूमिहीनता पाई जाती है। ६५ प्रतिशत से अधिक छोटे व सीमांत किसान, अपनी भूमि बड़े किसानों को सौंप देते हैं, जिससे वे भूमिहीन हो जाते हैं। पंजाब यह भी प्रदर्शित करता है कि ३० प्रतिशत गरीब, ग्रामीण क्षेत्र में निम्नतम उपभोग कर रहे हैं। ठीक उसी तरह देश के अन्य भागों में भी पूँजीवादी कृषि के कारण भूमि हस्तांतरण में वृद्धि हो रही है।

3. विकासात्मक परियोजनाएं :

सरकार द्वारा संचालित कराई गई विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएँ भूमि हस्तांतरण का एक बड़ा कारण हैं। नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि ग्रामीण क्षेत्र से ही ली जाती है। नई फैक्ट्री का निर्माण, राज्य मार्गों व राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण, नगर योजना व नगरों का विस्तार कृषि भूमि को प्रभावित करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना से कृषि भूमि का हस्तांतरण बढ़ता है। अनौपचारिक और छिपे हुए काश्तकार और कई बार भूमि रिकार्ड का संचालन भी भूमि हस्तांतरण का कारण बन जाता है।

अनु. जाति-जनजातीय भूमि संबंधी कानून :

भारत के लगभग सभी राज्यों में अनु. जाति जनजातीय भूमि के अलगाव के रोकने तथा भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से संरक्षात्मक और सबल कानून बनाये गये हैं जो निम्न है :-

- आंध्रप्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) भूमि हस्तांतरण अधिनियम १९५९, संशोधित अधिनियम १९७०, ७१, १९७८.
- आसाम भू-राजस्व अधिनियम १९८०, १९८१ में संशोधित।
- अरूणाचल प्रदेश :- पूर्वी बंगाल सीमांत अधिनियम १८७३ संशोधित।
- अंडमान निकोबार :- अंडमान और निकोबार दीपसमूह (मूल आदिवासी संरक्षण) अधिनियम (१९५६)
- बिहार/झारखण्ड :-

(a) छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम, १९०८

(b) संथाल परगना कास्तकार अधिनियम (अनुपूरक प्रावधान), १९४०

(c) बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, १९६९

- छत्तीसगढ़ :- (a) सेक्सन १६५ और १७० म.प्र. भू-राजस्व कोड १९५९

Volume - 6 | Issue - 10 | November - 201

(b) म.प्र. भूमि वितरण अधिनियम कानून १९६४
•दादर और नगर हवेली :- दादर और नगर हवेली भूमि सुधार अधिनियम १९७१
•गुजरात बाम्बे भू-राजस्व कानून।
(गुजरात द्वितीय संशोधन) १९८०
•हिमाचल प्रदेश :- हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण अधिनियम १९६८
•कर्नाटक :- कर्नाटक अनुसूचित जाति व जनजाति (भूमि हस्तांतरण संरक्षण) कानून १९७५
•केरल :- केरल अनुसूचित जनजातीय (भूमि हस्तांतरण और पुर्नस्थापन अधिनियम) कानून १९७५
•लक्षदीप :- लक्षदीप (अनुसूचित जनजाति संरक्षण) अधिनियम १९६४
•म.प्र. :- (a) म.प्र. भू-राजस्व कोड १९५९, सेक्सन १६५ और १७०
(b) म.प्र. भूमि वितरण अधिनियम (कानून) १९६४
•महाराष्ट्र :- (a) महाराष्ट्र भू-राजस्व कोड १९६६, १९७४ में संशोधित
(b) महाराष्ट्र (अनुसूचित जाति एवं जनजाति का पुर्नस्थापन) कानून १९७४
•मणीपुर :- मणीपुर भू-राजस्व एवं भू-सुधार कानून (१९६०)
•मेघालय :- मेघालय भू-हस्तांतरण कानून १९७१
•नागालैंड :- नागालैंड भूमि और राजस्व अधिनियम (संशोधित कानून) १९७८
•उड़ीसा :- उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र स्थायी सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम १९५६
•राजस्थान :- राजस्थान काश्तकारी कानून १९५५, राजस्थान भू-राजस्व कानून १९५६
•सिक्किम :- राजस्व आदेश क्र. १, १९१७ सिक्किम कृषि भूमि सीमाबंदी व सुधार अधिनियम, १९७७
•त्रिपुरा :- त्रिपुरा भू राजस्व और भूमि सुधार कानून १९६० संशोधित, १९७४
•उत्तरप्रदेश/उत्तराखण्ड :- उत्तरप्रदेश भूमि कानून (संशोधित), १९८१
•प. बंगाल :- प. बंगाल भू-सुधार कानून १९५५ संशोधित
उपरोक्त सभी कानूनों में जनजातीय भूमि हस्तांतरण पर रोक व सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कानून है।

भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना विधेयक 2013 :

१८९४ के भूमि अधिग्रहण-कानून की कमियों को दूर करते हुए इस विधेयक में सहमति मुआवजा और पुर्नवास/पुनर्स्थापना पर विशेष बल दिया गया है। विधेयक में किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति मनमाने ढंग से नहीं वसूली जाएगी। किसानों और भू-स्वामियों को ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण के बदले बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी इलाकों में दोगुना भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक का एक अन्य पहलू यह है कि निजी परियोजनाओं के लिए भू-स्वामियों की ८० प्रतिशत सहमति व सार्वजनिक-निजी परियोजना के लिये ७० प्रतिशत सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इस विधेयक के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य में खनन, आधारभूत ढांचा, रक्षा, विनिर्माण, बंदरगाह, सड़क और सरकार तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बनाये जाने वाले रेल्वे जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष प्रावधान :

अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से विधेयक में कहा गया है कि जहाँ भी भूमि-अधिग्रहण किया जायेगा। वहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि भूमि-अधिग्रहण के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं था। विधेयक में यह बात भी स्पष्ट रूप से कही गयी है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातीय भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। अगर ऐसा करना जरूरी हो जाये, तो स्थानीय स्वशासन निकायों की सहमति व अनुमोदन से भूमि-अधिग्रहण किया जा सकेगा। विधेयक में अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों की रक्षा के लिये निम्न उपाय किये गये हैं :-

• प्रत्येक सिंचाई परियोजना में प्रभावित होने वाले प्रत्येक परिवार को भूमि दी जावेगी।
• ५०,००० रू. प्रति परिवार को एक समय में वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी।
• जिले के बाहर विस्थापित होने वाले परिवार को २५ प्रतिशत अतिरिक्त सहायता प्रदान की जावेगी।
• क्षतिपूरक राशि का एक तिहाई भाग, प्रारंभ में प्रदान किया जायेगा, बाकी रकम जमीन पर कब्जा लेने के बाद दी जावेगी।
• विकास योजना तैयार की जावेगी जिसमें भूमि-अधिकार तय करने संबंधी विवरण शामिल होंगें।
• प्रभावित परिवारों को उसी क्षेत्र में बसने का हर संभव प्रयास किया जावेगा, जिससे उनकी संस्कृति, जातीय, भाषायी पहचान बनी रहे।
• सामुदायिक व सामाजिक सम्मेलन हेतु मुफ्त भूमि प्रदान की जावेगी।
• विस्थापन क्षेत्र से पुनर्वास क्षेत्र के लाभ हेतु सूची ५ व सूची ६ तथा आरक्षण की निरंतरता रहेगी।
६.प्रभावित जनजातीय लोग जिन्हें मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त था, उन्हें नये जलाशय, सिंचाई अथवा पनबिजली परियोजना में भी मछली पकड़ने के अधिकार दिये जायेंगें।

Volume - 6 | Issue - 10 | November - 2016

निष्कर्षतः

अनु.जाति, जनजाति और छोटे किसान, भूमि हस्तांतरण के लिये मजबूर हो जाते हैं। ज्ञान, जागरूकता व संगठन की कमी, इस स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिये विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं। देश में इन वर्गों के कोई एकीकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न सरकारी स्त्रोतों में भूमिहीनों के आंकड़ों में विसंगति निश्चित रूप से विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा कर देती है। ऐसी स्थिति में भूमि–अधिग्रहण कानून २०१३, आशा की एक किरण बनकर सामने आया है। आशा की जानी चाहिए कि अब तक के अनुभव और सीख के बल पर इस कानून को अधिक कारगर ढंग से लागू किया जायेगा, ताकि जी–तोड़ मेहनत के जरिये देश की तस्वीर बदलने वाले इस वर्ग के भी चेहरे पर मोहक और संतोषप्रद मुस्कान लायी जा सके।

संदर्भ सूची :

1.rural.nic.in

2.dolr.nic.in

३.भूमि संसाधन विकास प्रौधौगिकी विभाग, विस्तार एवं संरक्षण।

४.राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण गाइडलाइन।

५.study of uniform coching scheme for computerization of land record ministry of communication & information technology. Govt. of india.

६.Envfor.nic.in

७.Yojana oct 2011

८.भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन विधेयक २०११

९.Agricoop.nic.in